निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 57/2024
दायरा दिनांकः–16.10.2024
निर्णय दिनांकः– 25.02.2025

उनवान

1. रामबाई आयु 34 वर्ष पत्नि घांसीलाल जाति बंजारा
2. पार्वती बाई आयु 27 वर्ष पत्नि परशुराम जाति बंजारा निवासीगण ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 25.02.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश लोधा– प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा में खाता संख्या 197 खसरा नम्बर 77/2 रकबा 1.6567 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम मदनाखेड़ी तहसील छबड़ा में खसरा नम्बर 77/2 रकबा 1.6567 हैक्टयर की राजस्व कर्मचारीयों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाईन करते समय सहवन से खसरा नम्बर 77/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 77/1 गलत तरमीम कर दिया गया है। जबकि कब्जा अनुसार तरमीम होनी थी. जो खसरा नम्बर 77/2 पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रहीं है. और आज भी प्रार्थीगण वहीं पर काबिज काश्त है, तथा प्रार्थीगण काबिज काश्त अनुसार उक्त आराजी के नक्शे लठ्ठे में तरमीम करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थीगण उक्त आराजी को बिना बांधा के कृषि कार्य कर सके। प्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारीयों से कहीं बार राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे लठ्ठे में दुरूस्त कर खसरा नम्बर 77/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 77/2 की तरमीम में अंकित करवाना चाहा व निवेदन किया तो सभी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ने मना कर दिया व श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर संसोधन करने के आदेश लाने को कहां इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 197 नकल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2010 खाता नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मदनाखेडी फोटो प्रति मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2023 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थीयागण के खातेदारी में कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 77/2 रकबा 1.6567 है0 सहवन से राजस्व रिकार्ड में ऑनलाईन करतें समय खसरा नम्बर 77/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 77/1 गलत तरमीम कर दिया गया है जबकि कब्जा अनुसार तरमीम होनी थी खसरा नम्बर 77/2 पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है आज भी प्रार्थीगण का वही कब्जा काश्त चला आ रहा है मौके पर कब्जा अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम कराना चाहतें है प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड नक्शे–लट्ठे में खसरा नम्बर 77/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 77/2 की तरमीम कराना चाहता है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। तथा मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम की जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 197 के अनुसार खसरा नम्बर 77/2 रकबा 1.6567 है0 भूमि पार्वती बाई पत्नि परशुराम, रामाबाई पत्नि घांसीलाल के हिस्से 1/2 – 1/2 दर्ज रिकार्ड प्रार्थीगण का कहना है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी नक्शा लट्ठा में गलत तरमीम कर दी गई है क्योकि नक्शा लट्ठा में भी मौके पर कब्जा अनुसार तरमीम करनी चाहिये थी प्रार्थीगण जिसे दुरूस्त कराना चाहतें है प्रार्थीगण खसरा नम्बर 77/1 के स्थान पर 77/2 तरमीम करवाना चाहतें है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार छबडा के ग्राम मदनाखेडी की आराजी खसरा नम्बर 77/2 रकबा 1.6567 है0 भूमि रामबाई पत्नि घांसीलाल हिस्सा 1/2 पार्वती बाई पत्नि परशुराम हिस्सा 1/2 जाति बंजारा के खाते दर्ज है। उक्त भूमि दिनांक 10.01.1983 में वीरम पुत्र अमरलाल जाति राव को पश्चिम हिस्सा में भूमि आवंटन हुई थी नामान्तरण नम्बर 179 की पुस्त पर बने नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की गई है अर्थात् तरमीम आवंटित भूमि अनुसार ही की गई। प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम करना धारा 136 के दायरे में नही आता है साथ ही खसरा संख्या 77/1 के खातेदारों को पार्टी नही बनाया गया है। जो आवश्यक पक्षकार है।

अतः उपरोक्त अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)